

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 1984/माघ 18, 1905
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 1984/MAGHA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1984

सा. का. नि. 54(अ).—लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का
23) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
लोक भविष्य निधि, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्न-
लिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम को लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 कहा
जाएगा ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।
2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में ;
(क) पैरा 9 के उप-पैरा (2क) में “जमा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर”
शब्दों और अंकों के स्थान पर “जमा राशि के 50 प्रतिशत से
अनधिक” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

- (ख) प्ररूप “ज” से “मेरे लोक भविष्य निधि खाता संख्या को उसके खोले जाने के प्रारम्भिक वर्ष के बाद दिनांक को 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मेरे लोक भविष्य निधि खाता संख्या को उसके खोले जाने के प्रारम्भिक वर्ष के बाद दिनांक को 15 वर्ष पूरे हो गए हैं” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं. एफ. 3(23)-पी.डी./82]

वी. बालसुब्रह्मण्यन, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 1984

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968,—

(a) in sub-paragraph (2A) of paragraph 9, for the words and figures “equal to 50 percent of the balance” the words and figures “not exceeding 50 percent of the balance” shall be substituted;

(b) in Form ‘H’, for the words and figures “My public Provident Fund account No. ————— will complete 15 years.”, the words and figures “My Public Provident Fund account No. ————— has completed 15 years” shall be substituted.

[No. F. 3(23)-PD|82]

V. BALASUBRAMANIAN, Officer on Special Duty